



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19042023-245252
CG-MH-E-19042023-245252

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1700]
No. 1700]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1780(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 05 मई 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2087(अ), तारीख 05 मई 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के जामनगर जिले में राजकोट- कानालुस ब्रोड गेज इकहरी लाईन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र "दि टाइम्स ऑफ़ इन्डिया" में तारीख 23 मई 2022 और "नोबत" में तारीख 13 मई 2022 को प्रकाशित किया गया था; और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करी है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर अन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में प्रस्तावित राजकोट-कानालुस ब्रोड गेज इकहरी लाईन खंड के दोहरीकरण के लिये अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: जामनगर

क्रम संख्या	खसरा संख्या	7/12 के अनुसार भुधारक का नाम	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (स्क्वेअर मिटर)
तहसील : जामनगर(ग्राम्य)			
ग्राम : बालंभडी			
1	225	नुरुदीन कासम सक्करवानु नुरुदीन हेमनाणी बरकत नुरुदीन हेमनाणी निझारअली नुरुदीन हेमनाणी रमजान नुरुदीन हेमनाणी फिरोज नुरुदीन हेमनाणी यास्मीन नुरुदीन w/o अनवरअली वालाणी	105.00
2	332	क्रिष्णाबा केशुभा जाडेजा काळुभा केशुभा जाडेजा मंगळसिंह केशुभा जाडेजा अनोपसिंह केशुभा जाडेजा जशुभा केशुभा जाडेजा कैलासबा केशुभा जाडेजा ताराबा जिलुभा जाडेजा नयनाबा जिलुभा जाडेजा नरेन्द्रसिंह जिलुभा जाडेजा	642.00
3	319	गोविंद हीराहरिजन	466.00
4	328	प्यारअली गुलामहुसेन प्रेमजी पुरीबेन प्यारअली मुखीडा फिरोजभाई प्यारअली मुखीडा मनसुरअली प्यारअली मुखीडा अझीमभाई प्यारअली मुखीडा रियाझअली प्यारअली मुखीडा	426.00
5	315	नागजीभाई नाथाभाई बांभववा	613.00
कुल :			2252.00

[फा. सं. : ई. ऑफिस (E 398325-1)]

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक, निर्माण-II, अहमदाबाद

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th April, 2023

S.O. 1780(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2087(E), dated 5th May, 2022, published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (ii), dated 5th May, 2022(hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Jamnagar in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily “The Times of India” dated 23rd May, 2022 and “Nobat” dated 13th May, 2022 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And, whereas, Nil objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure Falling within the District Jamnagar for Special Railway Project, Rajkot - Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat.

Name of District: Jamnagar

Sr. No.	Survey No.	As per 7/12 Land holder's name	Area of Land to be Acquired (in Sqm.)
Taluka :Jamnagar (Rural)			
Village :Balambhadi			
1	225	NurudinKasam Sakkarbanu Nuroodin Hemnani Barkat Nuroodin Hemnani Nizarali Nuroodin Hemnani Ramjan Nuroodin Hemnani Firoz Nuroodin Hemnani Yasmin Nuroodin w/o AnvaraliValani	105.00
2	332	Krishnaba Keshubha Jadeja Kalubha Keshubha Jadeja Mangalsinh Keshubha Jadeja Anopsinh Keshubha Jadeja Jashubha Keshubha Jadeja Kailasba Keshubha Jadeja Taraba Jilubha Jadeja Nayanaba Jilubha Jadeja Narendrasinh Jilubha Jadeja	642.00
3	319	Govind Hira Harijan	466.00

4	328	Pyarali Ghulamhushen Premji Puriben Pyarali Mukhida Ferozbhai Pyarali Mukhida Mansurali Pyaar Ali Mukhida Azimbhai Pyarali Mukhida Riyazali Pyarali Mukhida	426.00
5	315	Nagjibhai Nathabhai Bambhava	613.00
Total			2252.00

[F. No. : E.- Office (E 398325-1)]

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager, Construction- II, Ahmedabad